फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 12 प्रभात जयपुर, मंगलवार 12 अगस्त, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Stings and Bites You Don't Want

The venom is so toxic that it makes the box jellyfish arguably the most deadly creature in the world

Birbala 'Did And Died'

Hidden China in Kolkata

If Kolkata is your next destination, then Terretti bazaar should be a 'must-visit' for you. Get the taste of uniqueness

विपक्ष ने अन्ततोगत्वा राहुल के नेतृत्व और राजनीतिक सोच व रणनीति को पूर्णतया स्वीकार किया

इसी रणनीति के तहत राहुल ने अपने निवास 5 सुनहरी बाग रोड, पर चुनाव आयोग पर मार्च से पहले डिनर दिया, जिसमें विपक्ष के सभी नेता शामिल हुए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। जो राहुल गांधी हाल तक विपक्षी नेताओं के लिए एक हाशिये पर रखा गया चेहरा थे, वही आज विपक्षी राजनीति के केन्द्र बिंदु बन गए हैं। वरिष्ठ विपक्षी नेता अब उन्हें और उनकी राजनीति को गंभीरता से लेने लगे हैं।

आज संसद भवन से चुनाव आयोग तक निकाले गए मार्च में, जिसमें बिहार में मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने के चुनाव आयोग के कथित प्रयास के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सभी वरिष्ठ विपक्षी नेता न केवल मौजूद रहे, बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी भी दी।

इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल थे, जो मार्च में शामिल हुए और फिर गिरफ्तारी देने के लिए बस में सवार हुए। साथ ही, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, टीएमसी के प्रतिनिधि, और अन्य विपक्षी सांसद व नेता भी मौजूद रहे।

- शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल की संसदीय पार्टी के नेता, अभिजीत बनर्जी, तेजस्वी यादव, सपा के अखिलेश यादव व विपक्ष के अन्य सभी नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च के बाद गिरफ्तारी भी दी।
- अब तक विपक्ष की सभी मीटिंग सोनिया गांधी के नाम पर होती थीं, पर अब विपक्ष की राजनीति का केन्द्र 10 जनपथ से शिफ्ट कर सुनहरी बाग रोड हो गया है।
- राहुल का तर्क है, कि सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संगठनों पर कंट्रोल कर लिया है। केवल एक ही चीज़ बची है वह है जनता का वोट, और अब ''वोट चोरी'' के जरिये वह भी उससे छिन रहा है।

विपक्ष की राजनीति की धुरी अब बदल चुकी है।

अब यह राहुल गांधी का नैरेटिव है जो दिन की दिशा तय कर रहा है, भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में डाल रहा है और विपक्ष को एकजुट कर रहा है।

चाहे वह जाति जनगणना हो, वोट चोरी हो, बिहार का मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दा हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पर लगातार हमले करना हो, राहुल गांधी ने ऐसे मुद्दों को उठाया है, जो आम जनता में गूंज रहे हैं।

संभवतः 21 सालों में यह पहला अवसर है, जब राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं के बीच इस स्तर की स्वीकार्यता मिली है।

अब तक विपक्ष की बैठकें सोनिया गांधी के नाम पर होती थीं, लेकिन अब विपक्षी राजनीति का केन्द्र बिंदु 10 जनपथ से बदलकर, 5 सुनहरी बाग रोड हो गया है।

राहुल गांधी ने हाल ही में विपक्षी नेताओं के लिए एक रात्रिभोज (डिनर) का आयोजन किया, जिसमें शरद पवार आए, उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ मुंबई से आए, ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के रूप में अभिजीत बनर्जी आये, तेजस्वी यादव आए और भी कई नेता शामिल हुए।

इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि राहुल गांधी और उनकी राजनीति को विपक्षी नेताओं ने अब स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वे आम लोगों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं।

विपक्ष के लिए यह अब आर-पार की लड़ाई बन गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री 14 को बीकानेर में जनसभा करेंगे

बीकानेर, 11 अगस्त (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 अगस्त को बीकानेर जा रहे हैं जहां वे सीमा पर बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे और फिर वे पॉलिटेक्निक कॉलेज में आजादी के समय हुए विभाजन के मुद्दे पर सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है।

भाजपा के प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के 14 अगस्त को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। इस संबंध में किसान आयोग व संभाग प्रभारी अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेष महर्षि ने एक

- पहले मुख्यमंत्री खाजूवाला के पास कोड़ेवाला पोस्ट पर बी.एस.एफ. जवानों से संवाद करेंगे।

मीटिंग की। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 14 अगस्त की दोपहर 12 बजे जनसभा शुरू होगी। मुख्यमंत्री बारह बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंच जायेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री खाजूवाला पहुंचेंगे। जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित कोड़ेवाला पोस्ट पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे।

कार्यक्रम प्रभारी धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हम जिला पदाधिकारियों, मंडल, मोर्चा, पार्षदों, सामाजिक व युवा संगठनों की बैठक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं।

''यह आंकड़े जो मैंने 'प्रज़ैन्टेशन' में दिखाये वे मेरे आकड़े नहीं, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं''

अतः आकड़ों के बारे में मैं कैसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ?-राहुल गाँधी

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 अगस्त। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने आज संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक इंडिया गठबंधन की विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व किया, ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी को लेकर दिए गए अपने बयान पर हलफनामा देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह डेटा उनका नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का है।

कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि उन्होंने 7 अगस्त को ''वोट चोरी'' को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेटा साझा किया था, वह चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया गया था।

उन्होंने कहा, यह चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई हलफनामा दूं।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा, चुनाव आयोग इस डेटा को उठाकर अपनी वेबसाइट पर डाल दे, फिर उन्हें खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें भेजा गया नोटिस सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

- राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर आगे कहा, मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, कि वे इन आंकड़ों को अपने ''वेब साइट'' पर डालें, और उन्हें भी जनता की भांति सच्चाई का स्वयम् आभास हो जायेगा।
- अपनी गिरफ्तारी के बारे में राहुल ने कहा, कि चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए 300 सांसद, चुनाव आयोग के दफ्तर मार्च करके गये, पर चुनाव आयोग इन सांसदों से नहीं मिले, बल्कि इन सांसदों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग सच जानता है, तथा उसे उजागर होने से डरता है।
- ''हमारी यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह लड़ाई इस देश की आत्मा व संविधान को संरक्षित रखने के लिए लड़ी जा रही है। क्योंकि अब ''एक व्यक्ति, एक वोट'' की सोच संकट में है।

राहुल गांधी ने कहा, ''यह सब केवल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। यह सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सी सीटों पर हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि जो डेटा वे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक दिन फूट पड़ेगा।''

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए राहुल गांधी ने, अन्य सांसदों के साथ, रिहा होने के बाद संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं।

प्रदर्शन मार्च और उसके दौरान हुई अनेक विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आयोग सच्चाई से डरता है।

उन्होंने कहा, ''भारत में लोकतंत्र की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग के दफ्तर से एक किलोमीटर पहले सांसदों को पुलिस ने रोका

पुलिस ने काफी सख्त इन्तज़ामात कर रखे थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, ट्रांसपोर्ट भवन से पहले भारी बैरिकेड लगा रखे थे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग की ओर मार्च को रोकते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। विपक्षी सांसद यह मार्च सत्तारूढ भाजपा के साथ आयोग की मिलीभगत के विरोध में निकाल रहे थे।

लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित, अनेक विपक्षी सांसदों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के आ ान पर संसद भवन से चुनाव आयोग तक यह मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके सहयोगी जयराम रमेश उन नेताओं में शामिल थे, जिन्हें हिरासत में

- सांसदों ने पी.टी.आई. बिल्डिंग के सामने सड़क पर बैठकर काफी नारेबाजी की।
- पुलिस इन नेताओं को गिरफ्तार कर बस से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गई।

लेकर बसों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।

राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने की है। उन्होंने आगे कहा, सच्चाई सम्पूर्ण देश के सामने है।

विपक्षी सांसद, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे, हिरासत से रिहा होने के बाद संसद लौटे; तथा संसद में नारेबाजी एवं हंगामा करने लगे, जिसके कारण संसद की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी।

पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने पर बहुत सारे सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित पीटीआई भवन के सामने सड़क पर बैठ गए, जो चुनाव आयोग से लगभग एक किलोमीटर दूर है। वहां वे ''विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)'' को वापस लेने, तथा और वोट चोरी के आरोपों से संबंधित नारे लगाने लगे।

सांसदों ने पोस्टर और बैनर लेकर एस आई आर को वापस लेने की मांग की और नारे लगाए।

प्रदर्शनकारी सांसद सफेद टोपी पहने हुए थे, जिन पर 'एस आई आर' और वोट चोरी के शब्दों पर लाल क्रॉस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गंगोत्री में बनी झील ने बढ़ाई मुसीबत

नई दिल्ली, 11 अगस्त। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। अब धराली में एक झील से पानी आ रहा है और बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। झील का पानी आने के कारण कई रास्ते एक बार

- उत्तरकाशी में बादल फटने से आई बाढ़ के राहत व बचाव में निरंतर बाधा आ रही है। गंगोत्री में बनी झील से लगातार पानी आ रहा है जिससे धराली में पानी कम नहीं हो रहा है।

फिर बंद हो गए हैं और आवागमन बाधित हुआ है। धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण भी लोगों को परेशानी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'श्री सीमेंट को प्राप्त 840 करोड़ की टैक्स राहत का पुनर्मुल्यांकन नहीं होगा'

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त के आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 11 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर सहायक आयुक्त द्वारा श्री सीमेन्ट पर 840 करोड़ रुपये की छूट के पुनर्मुल्यांकन के आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम व न्यायाधीश आनन्द शर्मा की खण्डपीठ ने यह आदेश श्री सीमेन्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता श्री सीमेंट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी पारडीवाला और वरिष्ठ अधिवक्ता अनन्त कासलीवाल के साथ-साथ उनके सहायक अधिवक्ता शशांक कासलीवाल पैरवी के लिए पेश हुए थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें 1 मई 2024 को आयकर अधिनियम के तहत 840 करोड़ रुपये की छूट के पुनर्मुल्यांकन के नोटिस दिया गया था। मामले के तथ्यों के अनुसार आयकर विभाग के सहायक आयुक्त ने 31 मार्च 2024 को एक सर्वे टीम द्वारा करे गये मूल्यांकन के बाद की गई टिप्पणियों के आधार पर 840 करोड़ रुपये की राशि पर पुनर्मुल्यांकन के आदेश पारित किए।

याचिकाकर्ता ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 80 आई ए के तहत 840 करोड़ रु. की यह

- याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें सीमेंट उत्पादन में इको फ्रैंडली कार्य प्रणाली अपनाने के लिए यह छूट दी गई थी।

रियायत मिली हुई है। याचिकाकर्ता ने बताया कि यह 840 करोड़ रुपये की राहत उसे 'सॉलिड वेस्ट मेंनेजमेंट सिस्टम' (एस.डब्ल्यू.एम.) और 'वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम' (डब्ल्यू.टी.एस.) और 'न्यू इंडिया पावर अण्डरटेकिंग' (एन.आई.पी.यू.) जैसी कार्यप्रणाली अपनाने की वजह से मिली है। पाठकों को बताते दे कि सीमेंट के उत्पादन से पर्यावरण को काफी हानि होती है और उपरोक्त वर्णित कार्यप्रणालियों को अपनाकर ही आयकर विभाग उद्योगपतियों और कम्पनियों को कर में राहत देती है और कम्पनियां वेस्ट मैनेजमैंट सिस्टम के जरिए लाभ भी कमाती हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि आयकर विभाग के सहायक आयुक्त ने सर्वे टीम की कार्यवाही के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 840 करोड़ रुपये पर आय पर कर नहीं लगाया गया है और इस पर कोई छूट नहीं है। इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त ने जो नोटिस श्री सीमेंट लिमिटेड को दिया था, उसका जवाब भी याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया परन्तु सहायक आयुक्त ने उस जवाब को उपयुक्त नहीं माना।

अदालत के समक्ष इस मामले को लेकर कई कानूनी सवाल सामने आए हैं जैसे कि क्या पुनर्मुल्यांकन का नोटिस सहायक आयुक्त द्वारा दिया जा सकता है जो कि 'फेसलैस एसेसिंग ऑफिसर' (गोपनीय मूल्यांकन ऑफिसर) नहीं है, जो कानून के अनुसार अनिवार्य है? पाठकों को बता दें कि नये कानून के अनुसार अधिकारी और आयकरदाता एक दूसरे के परिचित नहीं होने चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो अदालत के समक्ष आया था, कि जो मुद्दा आयकर विभाग ने उठाया उसी पर आयकरदाता ने पिछले वर्षों में छूट प्राप्त की थी और नया नोटिस नये सर्वे के दौरान दिया गया था, जो कानूनी तौर पर गलत है और कानून में दी गई समय सीमा के भी बाहर है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि न केवल यह नोटिस समय अवधि के बाहर था बल्कि पिछले 6 वर्ष से बिना किसी रोकथाम के आयकरदाता को यह छूट दी गई थी, जिसे अब बदलना कानून के विरूद्ध है। अदालत ने यह भी कहा कि यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

26 अगस्त को नौसेना को मिलेंगे दो युद्धपोत

नयी दिल्ली, 11 अगस्त। नौसेना के लिए आगामी 26 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रहेगा, जब उसके बेड़े में एक साथ दो घातक और उन्नत युद्धपोत उदयगिरि (एफ 35) और हिमगिरि (एफ 34) शामिल होंगे। नौसेना के अनुसार, यह पहला मौका होगा, जब दो प्रमुख भारतीय शिपयार्डों के दो प्रमुख युद्धपोत एक ही समय में विशाखापत्तनम में नौसेना

- हिमगिरी और उदयगिरी नामक ये दोनों युद्धपोत भारत में बने हैं तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं इनकी मारक क्षमता बहुत तीव्र है।

में शामिल होंगे। प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट्स का दूसरा युद्धपोत उदयगिरि, मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जबकि हिमगिरि, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित पी 17 ए जहाजों में से पहला है।

गत 15 सालों से अनुबंध की धज्जियां उड़ा रहे मेट्रो मास अस्पताल को अनुबंध रद्द करने का नोटिस मिला

एस.एम.एस. कॉलेज प्राचार्य व सम्बद्ध अस्पताल के नियंत्रक ने 'मेट्रो मास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड' और 'मेट्रो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों को नोटिस दिया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 11 अगस्त। एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अन्य सम्बद्ध अस्पतालों के नियंत्रक ने 'मेट्रो मास हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड' और 'मेट्रो इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों को नोटिस भेज कर इत्तिला दी है कि इन दोनों प्राइवेट कम्पनियों ने सरकार व एस.एम.एस. अस्पताल के साथ किए गए अनुबंध की बार-बार, कई वर्षों तक अवहेलना की है। नोटिस में आगे कहा गया है कि अगर दोनों प्राइवेट कम्पनियां अनुबंधन की शर्तें लागू नहीं करतीं और 20 सितम्बर तक, कार्य करने में त्रुटियों को दूर नहीं करतीं तो एस.एम.एस. अस्पताल और राज्य सरकार 'मेट्रो मास

- हैरानी की बात है कि पी.पी.पी. अनुबन्धन की शर्तों का उल्लघंन करने के लिए 'मेट्रो मास' कम्पनी के निदेशकों को 24 बार नोटिस दिए गए। दिसम्बर 2011 में किए गए अनुबंधन के बाद वर्ष 2012 में दो बार, 13 में तीन बार, 14 में दो बार, 17 में चार बार, 20 में एक बार, 21 में दो बार, 22 में पांच बार, 23 में दो बार और फिर 24 में भी दो बार नोटिस दिया गया था।
- एस.एम.एस. प्राचार्य द्वारा दिए गए नोटिस में बताया गया है कि अनुबंधन की शर्तों की अवहेलना करते हुए 'थर्ड पार्टी' (ऑडिटर) को भी वित्तीय जांच नहीं करने दी और वित्तीय 'रिकॉर्ड', 'डेली स्टेटस रिपोर्ट' और अन्य वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराया। दोनों कम्पनियों को एक तयशुदा बैंक में 'एस्क्रो अकाउण्ट' बनाना था, जिसमें अस्पताल की आय को जमा करना था ताकि राज्य सरकार के वित्तीय हितों को बचाया जा सके और राजस्व साझेदारी की निगरानी व निरीक्षण भी किया जा सके, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
- नोटिस में यह भी बताया गया है कि अनुबंधन की शर्तों के अनुसार अस्पताल में 20 प्रतिशत बीपीएल मरीजों को आरक्षण देना था व उनका मुफ्त इलाज करना था, पर ऐसा नहीं हुआ।

हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड' और 'मेट्रो इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ किए गए अनुबंध को रद्द कर देंगे।

एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, डॉ. दीपक माहेश्वरी की ओर से यह नोटिस 21 जुलाई को 'मेट्रो मास हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड' और 'मेट्रो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों को भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि इन दोनों कम्पनियों और एस.एम.एम. मेडिकल कॉलेज के बीच 7 दिसम्बर 2011 को अनुबंध हुआ था, जिसके तहत पी.पी.पी. मोड पर एक मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल और मानस आरोग्य सदन 'हार्ट-केयर' की स्थापना, संचालन और रखरखाव कराया जाना था। इस अनुबंध की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने 10,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया था और अस्पताल के निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपये भी दिए थे।

इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि अनुबंधन की शर्तों के अनुसार, दोनों प्राइवेट कम्पनियों को 20 प्रतिशत मरीज गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) वर्ग के लिए रखने थे और उन्हें मुफ्त इलाज देना था, परन्तु यह भी नहीं हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने सांसदों के फ्लैट्स का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 11 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित सांसदों के लिए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मोदी ने दीप प्रज्जवलित कर नए फ्लैट्स का उद्घाटन कर देश के जनप्रतिनिधियों को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, केन्द्रीय मंत्रियों एवं सभी सांसदों का अभिवादन किया गया।

- चार टावर्स में बने यह फ्लैट इको फ्रैंडली प्रणाली पर आधारित हैं।

सांसदों के लिए चार टावरों में फ्लैट बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये चारों टावरों के नाम देश की प्रमुख नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर रखा गया है। यह परिसर सांसदों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रत्येक फ्लैट में 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल है। जिसमें कार्यालय और स्टाफ के लिए जगह भी है।